

मेसर्स सहारा इंडिया व अन्य

एम. सी. अग्रवाल एच यू एफ

21 फरवरी, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और दलवीर भंडारी, न्यायाधिपतिगण]

निर्णय/आदेश: तर्कपूर्ण आदेश-प्रतिवादी द्वारा गैर-उपस्थिति के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित मुकदमे की आवश्यकता _गैर-तर्कपूर्ण आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा और प्रतिवादी की याचिका पर विचार किए बिना कि गैर-उपस्थिति क्यों थी-इसलिए नए सिरे से निर्णय के लिए अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेज दिया गया_वादी पर व्यय अधिरोपित की गई।

कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया गया था। वादी के साक्ष्य के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया था। पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे और वादी के साक्ष्य के लिए मामले को फिर से स्थगित कर दिया गया। प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थिति नहीं थी और मामले को अंतिम बहस के लिए स्थगित कर दिया गया था। वाद में डिक्री पारित की गयी। प्रतिवादी ने याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। अतः वर्तमान अपील।

अपील का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने निर्णीत किया :

1.1 उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील का व्यावहारिक रूप से एक गैर-तर्कसंगत आदेश द्वारा निपटारा कर दिया है। इसने प्रतिवादियों की प्रार्थना पर भी विचार नहीं किया कि गैर-उपस्थिति क्यों थी। चाहे जो भी हो, विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मार्ग असामान्य प्रतीत होता है। इसलिए नए न्यायनिर्णय के लिए मामले को अधीनस्थ न्यायालय को भेजना उचित है।

1.2 यह भी उचित है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी को व्यय का भुगतान करें। भले ही गैर-उपस्थिति का कारण सही माना जाता है, वादी निश्चित रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। केवल इसलिए कि प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने उचित ध्यान और सावधानी नहीं बरती, ये वादी-प्रत्यर्थी के प्रति कारित पूर्वाग्रह को अनदेखा करने का आधार नहीं हो सकता है। इसे उस व्यय द्वारा पूरा किया जाना चाहिए जो Rs.20,000/- पर तय की गई हैं।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 876/2007

(एफ. ए. ओ. सं. 681/2003 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश से उत्पन्न)

अपीलार्थियों के लिए एम. एल. वर्मा, के. के. खुराना, संजय पाल, वैभव डांग और राजीव नंदा।

पी. के. अग्रवाल के माध्यम से प्रतिवादी-व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया। 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में चुनौती दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रथम अपील संख्या 681/2003 को खारिज करने और वाद सं.54/ 2001 में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखने के आदेश को दी गई है।

3. महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने के अलावा तथ्यात्मक पहलुओं का विस्तृत संदर्भ अनावश्यक होगा।

4. मुकदमा सं. 54/2001 जिला न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय में दायर किया गया था। जो कि कब्जा, हर्जाने की वसूली और मध्यवर्ती लाभ और किराए के लिए था @Rs.70,664/- p. m. अर्थात 26.2.2002 पर विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने तिनकियाँ तैयार की और वादी के साक्ष्य के लिए वाद को 13.5.2002 तक स्थगित कर दिया गया। 13.5.2002 पर पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे और वादी के साक्ष्य के लिए वाद को 29.5.2002 तक स्थगित कर दिया गया था। 29.5.2002 पर प्रतिवादी की

ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ और मामले को अंतिम बहस के लिए 31.5.2002 को रखा गया और स्थगित कर दिया गया और मामले को दोपहर के भोजन के बाद आदेश के लिए रखने का निर्देश दिया गया। अंत में, मुकदमे का फैसला सुनाया गया। अभियुक्तों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया।

5. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कानून की कोई मान्यता नहीं है। वादी के साक्ष्य के लिए मामले को 13.5.2002 पर सूचीबद्ध किया गया था और बाद में इसे 29.5.2002 के लिए स्थगित कर दिया गया था। यदि प्रतिवादी उपस्थित नहीं होते तो भी आदेश अधिक से अधिक प्रतिवादी को एकतरफा निर्धारित करने का हो सकता था और एक और तारीख तय की जानी चाहिए थी। दिलचस्प बात यह है कि यह मामला उसी दिन लिया गया था और कई पन्नों का एक लंबा फैसला सुनाया गया था।

6. यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा गैर-उपस्थिति का कारण तारीख को गलत तरीके से नोट करना बताया गया था। उच्च न्यायालय ने किसी भी याचिका और प्रस्तुतियों पर चर्चा नहीं की और एक गुप्त आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया।

7. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी साफ मंशा के साथ नहीं आए हैं, और उन्होंने गलत और विकृत तस्वीर दी है।

8. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने पहली अपील का व्यावहारिक रूप से एक गैर-तर्कसंगत आदेश द्वारा निपटारा किया है। इसने प्रतिवादियों की याचिका पर भी विचार नहीं किया कि गैर-उपस्थिति क्यों थी। चाहे जो भी हो, विचारण न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया असामान्य प्रतीत होती है। इसलिए, हम नए तौर से निर्णय के लिए मामले को अधीनस्थ न्यायालय को भेजना उचित समझते हैं। चूंकि मामला लंबित है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय हमारे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर मामले का निस्तारण करेगी।

9. यह भी उचित है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी को व्यय का भुगतान करें। यहां तक कि अगर गैर-उपस्थिति का कारण सही माना जाता है, तो वादी निश्चित रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। केवल इसलिए कि प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उचित ध्यान और सावधानी नहीं बरती जो वादी-प्रत्यर्थी के प्रति कारित होने वाले पूर्वाग्रह को कम करने का आधार नहीं हो सकता है। इसे उस व्यय द्वारा पूरा किया जाना चाहिए जिन्हें हम Rs.20,000/- पर तय करते हैं। राशि का भुगतान आज से 10 दिनों के भीतर कर दिया जाए। इसके तुरंत बाद विचारण न्यायालय के

समक्ष एक रसीद पेश की जाए ताकि तीन महीने के भीतर निपटारे के लिए हमारे निर्देशों का विधिवत पालन किया जा सके।

10. पक्षकारों को हमारे आदेश की प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष रखने की अनुमति है ताकि आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकें।

11. याचिका का निस्तारण कर दिया जाता है।

अपील का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।